भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 418
05.02.2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकीय रूप से संवदेनशील क्षेत्र

418. श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकीय रूप से संवदेनशील क्षेत्रों में तेजी से कमी करने के लिए एक नई नीति तैयार की है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय उद्यानों के आस-पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवदेनशील क्षेत्रों को कम करने के लिए कितने आवेदनों पर कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या जनता ने राष्ट्रीय उद्यानों के आस-पास पारिस्थितिकीय रूप से संवदेनशील क्षेत्रों और जल निकायों के संरक्षण की मांग की है; और

(घ) देश भर में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली नीतियों के प्रभाव को कमजोर पड़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के आस पास पारि-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) को संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आये प्रस्तावों के आधार पर और ऐसे प्रस्तावों की मंत्रालय द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2011 को जारी 'दिशानिर्देशों' और दिनांक 17 मई, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के साथ-साथ और समय-समय पर जारी प्रासंगिक निर्देशों/आदेशों के अनुसार इन प्रस्तावों की की गई जांच परख के आधार पर अधिसूचित किया जाता है। पारि-संवेदनशील क्षेत्रों का परिसीमन स्थल-विशिष्ट और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के उन प्रावधानों के अनुसार होता है, जिसके अनुसार साठ दिनों की अवधि के भीतर संबंधित हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगने के लिए मसौदा अधिसूचना को प्रकाशित करना अनिवार्य होता है।

इस मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में चौंसठ संरक्षित क्षेत्रों सहित इक्यावन अंतिम ईएसजेड अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं।

*****